झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ॰सं॰– 8 / ज॰स॰(नि॰)ल॰सिं॰राँची–01–03 / 2015:– /राँची, दिनांक:–

आदेश

श्री शंभु प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के कार्यालय (स्थानांतरण) आदेश सं॰–1299 दिनांक–22.06.13 का अनुपालन नहीं करने के कारण सरकारी आदेशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं अनधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहने के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शंभु प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो को असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–49 ए के तहत पत्र निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख–I का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची निर्धारित किया जाता है

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह को झारखंड सेवा संहिता के नियम–96 के तहत जीवन यापन भत्ता देय होगा।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0 / –
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि॰)।

ज्ञापांक:– 2980 /राँची, दिनांक:– 18-6-15

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखंड, राँची / वित्त (वै॰दा॰नि॰कोषांग) विभाग, झारखंड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बोकारो / मेदिनीनगर / अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो / मेदिनीनगर / श्री शंभु प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो / ~~वेब~~ मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.6.15
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव(नि॰)।
18.6.15